



Office of the Accountant General (A&E), Kerala,

P.B.No.5607, M.G.Road, Thiruvananthapuram-695039,

Phone: 0471-2330311, Fax: 0471-2330242.

P19/II/DRSSA-122/UP

Dated: 01/01/2018

To

All District/Sub Treasury Officers ✓

Sir,

Sub: Sanction of Revised Pay Matrix from 01st January 2016 reg.

- Ref: 1.SSA No.Pension Miscellaneous/LID-18376,20763,20776,23255/1179 dated 15/11/2017 of Principal Accountant General (A&E)-II, Allahabad,Uttar Pradesh.
2.OM No. 11/2017-P.C-2-563/X-2017-04-(M) /2017 dated 27/07/2017 of Finance (Pay Commission) Section-2, Government of Uttar Pradesh.
3.OM No. 7/2017-P.C-1-666/X-2017-36 (M) /08 dated 11/10/2017 of Finance (Pay Commission) Section-1, Government of Uttar Pradesh.
4. OM No. 20/2017-P.C-2-886/X-2017-04(M)/2017 dated 21/09/2017 of Finance (Pay Commission) Section-2, Government of Uttar Pradesh.

I am to enclose herewith copies of Government orders issued by the Government of Uttar Pradesh regarding Sanction of Revised Pay Matrix from 01st January 2016 with SSA by Principal Accountant General (A&E)-II,Uttar Pradesh, in the reference cited. The same is being placed in the official website of this office (www.agker.cag.gov.in) under the link :- "**Treasury endorsement of orders for other states**". A copy of the same may be exhibited on the notice board of the treasury.

Yours faithfully,

Copy to:-

The Director of Treasuries
Thiruvananthapuram

Off/Kamdhwen
2/1/18
Sr. Accounts Officer

ok
1/1/18

s/d
Sr. Accounts Officer

02/12/12 / D28M / 122
01/12/12

P19
334384
28-11-12



कार्यालय महालेखाकार (ले0 व हक0)द्वितीय
20 सरोजनी नायडू मार्ग उ0प्र0 इलाहाबाद
Phones: Off. 2622625-26 Fax; 0532-2624402
पत्रांक:--पेंशन विविध/LID-18376,20763,20776,
23255/1179

दिनांक: 15-11-2017

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक0)

Kerala, Thiruvananthapuram,

- 695039

- विषय:- 1. उ0प्र0 शासन संख्या 11/वे0आ0-2-563/दस-2017-04(एम0)/2017 दिनांक 27.07.2017
2. वित्त (आयोग) अनुभाग-2 शासनादेश संख्या 20/2017/वे0आ0-2-886/दस-2017-04(एम0)/2017 दिनांक 21.09.2017.
3. वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1 शासनादेश संख्या 7/2017 वे0आ0-1-666/दस-2017-36(एम) /08 दिनांक 11.10.2017.

महोदय,

उत्तर प्रदेश वित्त विभाग द्वारा जारी उपरोक्त आदेशों की प्रतियाँ संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैं ।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त आदेश अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत समस्त कोषाधिकारियों /पेंशन भुगतान अधिकारियों को प्रसारित कर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें तथा एक प्रति इस कार्यालय को भी प्रेषित करने की कृपा करें /

संलग्न:- यथोपरि

70,

Hindwell,

may please translate
in to English .

भवदीय
[Signature]

लेखाधिकारी/पेंशन विविध

By AAO
P19

10/11/12

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E)-II
20 SAROJINI NAIDU MARG, U.P, ALLAHABAD
Phones: Off.2622625-26 Fax:0532-2624402
Letter :- Pension Misc./LID-18376,20763,20776,23255/1179

Dated: 15.11.2017

To

The Accountant General (A&E)
Kerala, Thiruvananthapuram-695039

- Sub :-**
1. Government of U. P. No.11/P.C.-2-563/X-2017-04(M)/2017 dated 27.07.2017
 2. Finance (Commission) Section - 2 G O No. 20/2017/P.C.-2-886/X-2017-04(M)/2017 dated 21.09.2017
 3. Finance (Pay Commission) Section-1 G O No. 7/2017/P.C.-1-666/X-2017-36(M)/08 dated 11.10.2017

Sir,

Copies of the above orders issued by Department of Finance, Uttar Pradesh are being sent enclosed herewith.

Therefore, you are requested to circulate the above orders to all the Treasury Officers/ Pension Payment Officers under your jurisdiction and direct them to take action as per rules and a copy may be forwarded to this office also.

Enclosure: as above

Yours faithfully,
Sd/-
Accounts Officer/Pension Misc.

23555

14/9/2017


संख्या 11/2017-वे0आ0-2-563/दस-2017-04 (एम)/2017

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/
प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।



वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 27 जुलाई, 2017
विषय:-दिनांक 01 जनवरी 2016 से पुनरीक्षित वेतन-मैट्रिक्स की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,


उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति (2016) की संस्तुतियों के संदर्भ में भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 25 जुलाई 2016 के सादृश्य शासनादेश संख्या-65/2016/वे0 आ0-2-1442/दस-04 (एम)/2016 दिनांक 20 दिसम्बर 2016 के साथ संलग्न तालिका के अनुसार राजकीय कर्मचारियों के लिये पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स की स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जिसमें ग्रेड वेतन रू0 8700 के लिये तालिका लेवल-13 निर्धारित था। भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 16 मई 2017 द्वारा ग्रेड वेतन रू0 8700 के लिये निर्धारित वेतन मैट्रिक्स में लेवल-13 को संशोधित कर दिया गया है।

2. भारत सरकार की उपर्युक्त अधिसूचना दिनांक 16 मई 2017 के क्रम में शासनादेश दिनांक 20 दिसम्बर 2016 के साथ संलग्न तालिका में ग्रेड वेतन रू0 8700 के लिये संलग्नक की तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित मैट्रिक्स लेवल-13 की कोष्ठिकाओं को स्तम्भ-3 के अनुसार प्रतिस्थापित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3. उपरोक्त संशोधन से हुए वेतन पुनर्निर्धारण के फलस्वरूप देय वेतन के अवशेष का भुगतान शासनादेश संख्या-67/2016/वे0आ0-2-1447/दस-04(एम)/2016 दिनांक 22 दिसम्बर 2016 के प्रस्तर-10 की व्यवस्थानुसार दो वित्तीय वर्षों में किया जायेगा।

4. उपर्युक्त क्रम में राज्य के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को वेतन मैट्रिक्स की स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-66/2016/वे0आ0-2-1443/दस-04(एम)/2016 दिनांक 20 दिसम्बर 2016, एवं

25-9-17



SSADR-125

